

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 10/2024

दायरा दिनांक:-01.05.2024

निर्णय दिनांक:- 30-7-24

उनवान

रामचरण उर्फ हरिचरण पुत्र कालुराम जाति मीणा निवासी गोपालपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांक:- 30-7-24

अभिभाषक उपरिथत:-1. श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव - प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी का नाम रामचरण उर्फ हरिचरण पुत्र कालुराम जाति मीणा है जो ग्राम गोपालपाडा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी के खाते एवं कृषि काश्त की आराजी खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 232/3 रकबा 0.2655 व खसरा नम्बर 30/3 रकबा 1.5174 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7829 है0 हिस्सा 1/5 वाके ग्राम गोपालपाडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामचरण पुत्र कल्ला दर्ल रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 363/1 रकबा 1.9981 कुल किता 1 कुल रकबा 1.9981 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम झरखेडी तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम हरिचरण पुत्र कालुराम जाति मीणा निवासी गोपालपाडा दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। खाता संख्या 109 में प्रार्थी का बोलता नाम हरिचरण होने के कारण सहवन से दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी हो गया है। जबकी प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक एवं अपनी पत्नि व बच्चों के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में पति/पिता के नाम के स्थान पर रामचरण दर्ज है। प्रार्थी का खाता संख्या 109 पर लोन लेने व अन्य राज कार्य करने में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी खाता संख्या 109 वाके ग्राम झरखेडी में अपना नाम रामचरण उर्फ हरिचरण करवाना, चाहता है। जो उचित एवं आवश्यक है। हरिचरण एवं रामचरण दोनो ही नाम प्रार्थी के ही है। ग्राम गोपालपाडा में उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ती आती है तो उसका जिम्मेदार प्रार्थी स्वयं होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के समर्थन पेपर पर एक शपथ पत्र आलेखित कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रार्थी के खाते एवं कृषि काश्त की आराजी

खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 363/1 रकबा 1.9981 है कुल किता 1 कुल रकबा 1.9981 हिस्सा 1/2 चाके ग्राम झरखेडी में प्रार्थी के नाम हरिचरण पुत्र कालुराम के स्थान पर रामचरण उर्फ हरिचरण पुत्र कालुराम करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 109 नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालपाडा सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 38 नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालपाडा सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 72 पेश की गई। फोटो प्रति, आधार कार्ड, रामचरण फोटो पहचान पत्र, रामचरण शपथ पत्र नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 109 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2069-72 खाता संख्या 110 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2065-68 खाता संख्या 107 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2061-64 खाता संख्या 106 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2057-60 खाता संख्या 98 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2053-56 खाता संख्या 93 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2049-52 खाता संख्या 83 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2045-48 खाता संख्या 2 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम झरखेडी व गोपालपाडा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी का नाम सही नाम रामचरण है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम हरिचरण दर्ज कर दिया है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में रामचरण दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हरिचरण के स्थान पर हरिचरण उर्फ रामचरण दर्ज किया जावे।


बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2073-76, 2069-72, 2065-68 2061-64 2057-60 2053-56 2049-52, एवं सम्वत् 2045-48 में प्रार्थी का नाम हरिचरण दर्ज रिकार्ड है नकल नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 22.06.1989 के अनुसार शिवकरण पुत्र धुलीलाल जाति मीना द्वारा खसरा नम्बर 361/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का बेचान जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से लड्डुलाल हरिचरण पुत्र कालुराम मीना को किया गया जिसका नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक किया गया। इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोपालपाडा में खाता संख्या 72 में रामचरण पुत्र काल्या हिस्सा 1/5 एवं ग्राम झरखेडी में खाता संख्या 109 में हरिचरण पुत्र कालुराम हिस्सा 1/2 दर्ज है प्रार्थी रामचरण उक्त ग्राम झरखेडी की भूमि में दर्ज अपने नाम हरिचरण के स्थान पर रामचरण उर्फ हरिचरण करवाना चाहता है मुताबिक रिकार्ड नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 22.06.1989 ग्राम झरखेडी उक्त भूमि जयें विक्रय पत्र लड्डुलाल हरिचरण पुत्र कालुराम मीना निवासी गोपालपाडा के खाते दर्ज हुई जो आज दिनांक तक रिकार्ड चली आ रही है ग्राम गोपालपाडा एवं झरखेडी के ग्राम वासियान से जानकारी करने पर उपस्थिति

व्यक्तियों ने बताया की रामचरण व हरिचरण पुत्र कालुराम एक ही व्यक्ति है रामचरण का बचपन का बोलता नाम हरिचरण होने से खाते में हरिचरण दर्ज किया गया था। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 22.06.1989 के आधार पर प्रार्थी द्वारा भूमि हरिचरण के नाम से क्रय की गई विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया गया। विक्रय पत्र में हरिचरण दर्ज होने के कारण नामान्तरण भी हरिचरण के नाम से खोला गया। जमाबन्दी में कोई गलती नहीं की गई है विक्रय पत्र के आधार पर ही जमाबन्दी में नाम दर्ज किया गया है विक्रय पत्र के नाम को धारा 136 एल0 आर एक्ट में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारा)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा